कार्यालय नगरपालिका परिषद नजीबाबाद (बिजनौर)

पत्रांक 04 /न0पा0प0/नजी0–2019 दिनांकः– 28.12.2019

सं0 275/न0पा0परि0 नजीबाबाद–पाशु/2012–नगरपालिका परिषद नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने 19 नवम्बर, 2012 ई0 से लागू पालिका शुल्क उपनियम संशोधन 2012 को निरस्त करते हुए नगरपालिका परिषद नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम संख्या 2, 1916 की धारा 298 की उपधारा (1) (2) की सूची शीर्षक ज(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए पालिका शुल्क एंव यूजर चार्जेज़ उपविधि 2019 बनायी है।

पालिका शुल्क एंव यूजर चार्जेज उपविधि 2019 में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण द्वितीय प्रति, मुआयना शुल्क, नामान्तरण शुल्क, नकल शुल्क, घरेलू एंव व्यवसायिक जल मूल्य, नया जल संयोजन शुल्क, जल संयोजन विच्छेद शुल्क आदि के लिये उक्त उपविधि तैयार की गयी है जो राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इस सम्बन्ध में पारित संकल्प निम्नवत् है।

पालिका शुल्क एंव यूजर चार्जेज उपनियम 2019

1. अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका परिषद, अधिनियम 1916 से है।
2. यह उपनियम पालिका शुल्क एंव यूजर चार्जेज उपनियम 2019 कहलायेगा।
3. नगरपालिका का तात्पर्य नगरपालिका परिषद नजीबाबबाद ज़िला बिजनौर से है।
4. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक का तात्पर्य नगरपालिका परिषद नजीबाबाद जिला बिजनौर के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/कर अधीक्षक/राजस्व निरीक्षक से है।
5. बोर्ड का तात्पर्य नगरपालिका परिषद नजीबाबाद जिला बिजनौर के निर्वाचित बोर्ड से है।
6. **नामान्तरण** का तात्पर्य सम्पत्ति पंजिका में (गृह कर, जलकर पंजिका) किसी व्यक्ति/संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट आदि का दर्ज नाम के स्थान पर अन्य व्यक्ति/संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट आदि का नाम दर्ज करने से है। नामान्तरण करने हेतु **प्रारूप–1** पर निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन करना होगा।
   1. पारिवारिक/वसियतनामा, हिबेनामा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि के आधार पर नामांतरण हेतु अंकन रू0 1,000/– शुल्क दे होगा जो प्रति 5 वर्ष पर अंकन रू0 1,000/– की स्वतः वृद्धि की जायेगी।
   2. पंजीकृत विकय विलेख व पंजीकृत दानपत्र (गिफ्ट डीड) के माध्यम से कय की जानी वाली अचल सम्पत्ति पर नामान्तरण शुल्क सर्किल रेट का 2% देय होगा।
   3. नामान्तरण आवेदन फार्म/कर निर्धारण प्रमाण पत्र हेतु अंकन रू0 50/– देय होगा।
   4. नगर में स्थित कोई भी अचल सम्पत्ति को काई भी व्यक्ति/संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट कय करता है तो उसे 30 दिन के अंदर नगरपालिका से अंकन रू0 50/– का नामान्तरण आवेदन पत्र (**प्रारूप–1**) भरकर नामांकन की प्रकिया शुरू कराने का दायित्व होगा, अन्यथा की स्थिति में पहले छः माह तक अंकन रू0 100/– तथा दूसरी छमाही तक अंकन रू0 200/– और उसके बाद प्रतिवर्ष अंकन रू0 500/– विलम्भ शुल्क अतिरिक्त लिया जायेगा।
7. **जलमूल्य** का तात्पर्य पालिका की पाईप लाईन से लिया जाने वाला घरेलू/व्यवसायिक/व्यक्तिगत सबमर्सिबल से लिये जाने वाले जल के यूजर चार्ज से है।

EO

1. घरेलू जलमूल्य की मासिक धनराशि अंकन रू0 80/— प्रति माह + अंकन रू0 1/— जलउपकर अर्थात् अंकन रू0 972/— प्रतिवर्ष देय होगा।
2. व्यवसायिक जलसंचय (जलमूल्य) अंकन रू0 500/— प्रतिमाह + अंकन रू0 1/— जलउपकर अर्थात् 6,012/— प्रतिवर्ष देय होगा।
3. (1) यदि सबमर्सिबल बोरिंग किसी निजी भवन के अन्दर पाया जाता है तो अंकन रू0 1,000/— स्थापना शुल्क लिया जायेगा।

   (2) यदि सबमर्सिबल बोरिंग सरकारी भूमि/सड़क/रोड पटरी/नाली आदि पर पायी जाती है तो स्थापना शुल्क अंकन रू0 5,000/— लिया जायेगा।

   (3) सबमर्सिबल बोरिंग से उपभोग किये जाने वाले पानी/जल को पालिका जलमूल्य की भांति अंकन रू0 100/— मासिक + अंकन रू0 1/— जलउपकर अर्थात् अंकन रू0 1,200/— प्रतिवर्ष भवन/संस्था/प्रतिष्ठान/दुकान के स्वामी/अध्यासी से वसूला जायेगा और जलमूल्य रजिस्टर में जलसंयोजन की भांति दर्ज कर उपरोक्त शुल्क वसूला जायेगा।

8. **जल संयोजन** का तात्पर्य पालिका की पाईप लाईन से लिया जाने वाला कनैक्शन से है, इसमें व्यक्तिगत सबमर्सिबल भी सम्मलित है। बिना पालिका की अनुमति के कोई भी जल संयोजन/सबमर्सिबल बोरिंग अपराध की श्रेणी में आयेगा। पालिका से जल संयोजन हेतु **प्रारूप–2** पर आवेदन करना होगा।
   1. नया घरेलू जल संयोजन शुल्क अंकन रू0 250/— होगा।
   2. नया व्यवसायिक जल संयोजन शुल्क अंकन रू0 1,000/— होगा।
   3. घरेलू जल संयोजन का नामान्तरण शुल्क अंकन रू0 500/— होगा।
   4. व्यवसायिक जल संयोजन नामान्तरण शुल्क अंकन रू0 1,500/— होगा।
   5. घरेलू जल संयोजन विच्छेद (डिस्कनैक्शन) शुल्क अंकन रू0 1,200/— होगा।
   6. व्यवसायिक जल संयोजन विच्छेद (डिस्कनैक्शन) शुल्क अंकन रू0 2,400/— होगा।
   7. निर्माणाधीन भवन में यदि कोई व्यक्ति जल संयोजन कराता है तो वह व्यवसायिक जल संयाजन के अन्तर्गत होगा, यदि निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त उक्त भवन का घरेलू उपयोग किया जाता है तो उसका कनैक्शन आवेदन करने पर पालिका द्वारा जांचोपरान्त व्यवसायिक से घरेलू जल संयोजन में अंकन रू0 200/— शुल्क जमा करने पर परिवर्तित कर दिया जायेगा।
   8. पालिका की पाईप लाईन में टिल्लू पम्प (मोटर पम्प) लगाकर पानी का उपयोग/दुरूपयोग करना पूर्णतः वर्जित है पालिका द्वारा दिये गये जल संयोजन में टिल्लू पम्प (मोटर पम्प) लगा पाये जाने पर टिल्लू पम्प जब्त कर लिया जायेगा और जुर्माना के रूप में अंकन रू0 5,000/— वसूला जायेगा।

9. **मुआयना शुल्क** का तात्पर्य पालिका के अभिलेखो पंजिकाओ इत्यादि को कोई भी व्यक्ति को आवेदन पत्र देकर अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष की अनुमति से निर्धारित शुल्क जमा करके कार्यालय कार्य दिवस में मुआयना/निरीक्षण कर सकता है।
   1. एक पत्रावली/एक रजिस्टर का मुआयना शुल्क प्रथम 30 मिनट के लिये अंकन रू0 50/— तथा इसके अतिरिक्त प्रति 10 मिनट के लिये अंकन रू0 15/— देकर मुआयना किया जा सकता है।
   2. मोबाइल, स्कैनर एंव अन्य किसी इलैक्ट्रोनिक उपकरण से अभिलेख/पत्रावली का फोटो लिया जाना वर्जित है।

10. **नकल शुल्क** का तात्पर्य अंकन रू0 10/— के स्टाम्प के साथ पालिका के अभिलेखो पंजिकाओं इत्यादि की नकल से है।
    1. ए–4 साईज़ के अभिलेख पत्र की साधारण नकल शुल्क अंकन रू0 100/— होगा।

EO

2. ए–4 साईज़ के अभिलेख पत्र की प्रमाणित नकल शुल्क अंकन रू0 200/– प्रति पृष्ठ अंकन रू0 10/– का स्टाम्प अतिरिक्त होगा।

11. **नियमो के उल्लंघन के लिये शास्ति** उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसी व्यक्ति या संस्था अथवा अन्य के विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन संस्थित किया जायेगा।

12. **अपराधो का प्रशमन** इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यो के लिये अनुबंन्धित संस्थाओ द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित है, वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधो के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा। ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपने अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/पुलिस कर्मियो को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची – 1

पालिका शुल्क एंव यूजर चार्जेज उपनियम 2019

क्र0 सं0	उपक्रम	नाम	शुल्क/यूजर चार्ज	अन्य विवरण
01	1	**नामान्तरण :–** पारिवारिक/वसियतनामा, हिबेनामा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि के आधार पर नामांतरण हेतु	1,000/–	जो प्रति 5 वर्ष पर अंकन रू0 1,000/– की स्वतः वृद्धि की जायेगी।
	2	पंजीकृत विक्रय विलेख व पंजीकृत दानपत्र (गिफ्ट डीड) पर	सर्किल रेट का 2% नामान्तरण शुल्क लिया जायेगा।	जिसमें सर्किल के आधार पर नामांतरण शुल्क लिया जायेगा।
	3	नामान्तरण आवेदन फार्म/कर निर्धारण प्रमाण पत्र	50/–	
	4	विलम्ब शुल्क	100/– प्रथम छमाही 200/– द्वितीय छमाही 500/– प्रतिवर्ष	पहले छः माह तक अंकन रू0 100/– तथा दूसरी छमाही तक अंकन रू0 200/– और उसके बाद प्रतिवर्ष अंकन रू0 500/– विलम्ब शुल्क अतिरिक्त लिया जायेगा।
02	1	**जलमूल्यः–** घरेलू जलमूल्य की मासिक धनराशि	80/– प्रतिमाह + 1/– जलउपकर प्रतिमाह	अंकन रू0 972/– प्रतिवर्ष देय होगा।
	2	व्यवसायिक जलसंचय (जलमूल्य)	500/– प्रतिमाह + 1/– जलउपकर प्रतिमाह	अंकन रू0 6,012/– प्रतिवर्ष देय होगा।
	3	निजी भवन में सबमर्सिबल बोरिंग	1,000/–	

		स्थापना शुल्क		
	4	सरकारी भूमि में सबमर्सिबल बोरिंग स्थापना शुल्क	5,000/–	
	5	सबमर्सिबल बोरिंग से उपभोग शुल्क	100/– प्रतिमाह + अंकन रू0 1/– जलउपकर	
3	1	**जल संयोजन** नया घरेलू जल संयोजन शुल्क	250/–	
	2	नया व्यवसायिक जल संयोजन शुल्क	1000/–	
	3	घरेलू जल संयोजन का नामान्तरण शुल्क	500/–	
	4	व्यवसायिक जल संयोजन नामान्तरण शुल्क	1,500/–	
	5	घरेलू जल संयोजन विच्छेद (डिस्कनैक्शन) शुल्क	1,200/–	
4	1	**मुआयना शुल्क** पत्रावली/अभिलेख का मुआयना शुल्क	50/– प्रथम 30 मिनट इसके अतिरिक्त प्रति 10 मिनट के लिये अंकन रू0 15/–	एक पत्रावली/एक रजिस्टर का मुआयना शुल्क प्रथम 30 मिनट के लिये अंकन रू0 50/– तथा इसके अतिरिक्त प्रति 10 मिनट के लिये अंकन रू0 15/– देकर मुआयना किया जा सकता है।
5	1	**नकल शुल्क** साधारण नकल शुल्क	100/–	
	2	प्रमाणित नकल शुल्क	200/–	ए–4 साईज़ के अभिलेख पत्र की प्रमाणित नकल शुल्क अंकन रू0 200/– प्रति पृष्ठ अंकन रू0 10/– का स्टाम्प अतिरिक्त होगा।

उपरोक्त फीस/शुल्क/यूज़र चार्जेज के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। जब तक वह निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खंडित अथवा स्थागित न कर दिया जाये। शुल्क से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले वादो का न्याय क्षेत्र जनपद बिजनौर होगा।

(सुरेन्द्र प्रताप)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद नजीबाबाद

(सबिया निशात उर्फ रेशम)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद नजीबाबाद